झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0(शिकायत) हजारीबाग / PDS–30 / 2022 – 975

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांकः– 21.12.2022

विषयः– **हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक प्रखण्ड के डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता के विरूद्ध राशन की कालाबाजारी करने संबंधी मामले में प्राप्त परिवाद पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि शिकायतकर्ता श्री सुभाष केसरी, बरही, हजारीबाग का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक प्रखण्ड के डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार दिव्य के विरूद्ध राशन की कालाबाजारी करने संबंधी मामले से संबंधित परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/12/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

सेवा में

30/11/22

पुलिस अधिक्षक ,

हजारीबाग |

विषय :- मुख्य अभियुक्त जितेंद्र कुमार दिव्यं (जीतू ठाकुर) पर राशन कालाबाजारी करने हेतु केस स- 76 दिनांक 20-/5/2022 धारा 7 लगने के बावजूद अनुसंधान में नाम हट गया जिसे फिर अनुसंधान करने के संबंध में

30/11/22

महाशय '

1044
30.11.22

निवेदक पूर्वक कहना है कि 19/6/2022 को ईचाक प्रखण्ड के डोर स्टेप डेलीवेरी अभिकर्ता जितेंद्र कुमार दिव्य द्वारा 150 (एक सो पचास) क्विंटल लगभग सरकारी राशन को ईचाक गोदाम से उठाकर ले गया था जो कि डीलर के यहाँ पहुचाना था परंतु इनके द्वारा गरीब का अनाज बेच दिया गया| जबकि डोर स्टेप डेलीवेरी का मतलब डीलर का दुकान में राशन उतार कर देना है | परंतु ऐसा नहीं किया गया बल्कि इस राशन को दिनेश कुमार के यह बेच दिया |

इस संबंध में प्रशिक्षु आई पी एस द्वारा दल बल के साथ छापामारी करने में गरीबों का बांटे जानेवाला सरकारी आनाज़ लगभग 150 क्विंटल राशन जब्त किया गया | साथ ही दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में दिनेश कुमार ने स्वीकार किया कि यह राशन डीलर सीताराम मेहता के यहाँ उतरना था परंतु जितेंद्र कुमार दिव्य के कहने पर मैने अपने यहाँ उतार दिया ताकि इसे बाजार में बेच सके |
इस कालाबाजारी में मुख्य अभियुक्त जितेंद्र कुमार दिव्य है जिसका केस संख्या -76/20-5-2022 धारा 7 लगने के बावजूद केस से नाम हट जाता है |

श्री मान से कहना चाहता हु कि इस तरह कार्य करने जो गरीब का निवाला खुलेआम बाजार में बेच देता है |जितेंद्र कुमार दिव्य केस का मुख्य अभियुक्त है धारा 7 लगा हुआ है इसके बावजूद केस से नाम हट जाता है और गरीब लाचार दिनेश कुमार पर केस लोड कर दिया जाता है | इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि केसा कानून है जिसे जेल के अंदर होना चाहिए वह बाहर ईमानदार का चोला पहनकर समाज सेवी बना है | जो कि यह एक नंबर का चोर है | इसका भाई सतेन्द्र कुमार ठाकुर जो झारखंड पुलिस चतरा जिला में कार्यरत है | पुलिस अधीक्षक चतरा के यहाँ खाना बनाने में सरकारी नोकरी है जो चतरा एस पी साहब का रॉब दिखाकर जितेंद्र ठाकुर एवं सतेन्द्र ठाकुर हर जगह काम करवाता है | क्यों नहीं इस संबंध में जांच कर सतेन्द्र ठाकुर को निलंबित करते हुए आगे कि कारवाई जाए ताकि कोई पवार का गलत उपयोग नहीं कर सके इसे वहाँ हटाया जाए जबकि जितेंद्र ठाकुर का पिछला रिकार्ड देखा जाए तो सरकारी साइकिल चोरी करने में जेल जा चुका है | फिर भी अपना नाम केस से हटा लिया |

(39)

जिस राशन को बेच दिया उस राशन का भरपाई सरकारी खजाना से किया गया है जबकि इसका भरपाई जितेंद्र कुमार दिव्य से 40 रु प्रति किलो कि दर से वसूली करना है जो लगभग 600000 (छ लाख रुपैया) होता है इसकी वसूली जल्द से जल्द जितेंद्र ठाकुर से कराकर सरकारी खजाना में जमा करने की कृपा की जाए साथ ही केस सं -76 /20/5/2022 को फिर भवदीय द्वारा खुद अनुसंधान किया जाए ताकि दोसी जो बाहर घूम रहा है इसे जेल के अंदर किया जा सके |ताकि भविष्य में ऐसा किसी के द्वारा कालाबाजारी नहीं किया जा सके नहीं तो अगर यह केस बरी होता है बिभाग के लिए ठीक नहीं होगा साथ और लोगों का मन बढ़ेगा |

अतः श्री मान से निवेदन है कि केस सं 76 दिनांक - 20/5/2022 धारा -7 को फिर से अनुसंधान करने की कृपा करे इसके लिए श्री मान का आभारी रहूँगा|

आपका विश्वासी
सुभाष कुजूर
बड़की - 825405

प्रतिलिपि:-

1 उपायुक्त हजारीबाग को सादर सूचनार्थ |
2 आयुक्त उतरी छोटानागपुर हजारीबाग को सादर सूचनार्थ
3 डी आई जी हजारीबाग को सादर सूचनार्थ
4 डी जी पी रांची झारखंड को सादर सूचनार्थ
5 मुख्य सचिव झारखंड सरकार को सादर सूचनार्थ
6 खाध्य आपूर्ति मंत्री को सादर सूचनार्थ
7 खाद्य आपूर्ति सचिव को सादर सूचनार्थ
8 मुख्य मंत्री झारखंड सरकार को सादर सूचनार्थ